स 1425/आ-6/16
3/8/16

संख्या/056/8–3–16– 94 रिट/16

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः** **दिनांकः 03 अगस्त, 2016**

विषयः महायोजना कियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के अधिकांश विकास क्षेत्रों की महायोजनायें शासन के अनुमोदनोपरान्त लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार महायोजना बनाये जाने के साथ–साथ अथवा उसके तुरन्त पश्चात् धारा–9 के अधीन जोनल डेवलपमेंट प्लान्स बनाये जाने की अनिवार्यता है। इस कम में कृपया शासनादेश संख्या–2184/8–3–05–55 विविध/2002, दिनांक 25.05.2006, शासनादेश संख्या–2184/8–3–4–2006–55 विविध/2002, दिनांक 20.02.2006, शासनादेश संख्या–4074/8–3–2006–55 विविध/2002 (आ.ब.)(टी.सी.) दिनांक 17.08.2006, शासनादेश संख्या–876/8–3–2008–27 विविध/2008 दिनांक 15.04.2008 तथा शासनादेश संख्या–563/8–3–12–27 विविध/2008 दिनांक 02.03.2012 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को जोनल डेवलपमेंट प्लान्स शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु पर्याप्त समय बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है।

2– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरिसंदर्भित शासनादेशों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सदाकान्त) 3/8/16
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव

AD (System)
0808D